<u>वित्तीय स्वीकृति</u>

<u>संख्या-10 /2017/211/पन्द्रह-10-2017-5(घो0)/2015</u>

प्रेषक

पद्माकर शुक्ला,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा0)
उ0प्र0 लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-10 **लखनऊः दिनांकः 15 फरवरी, 2017**

विषयः- मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में जनपद-बिजनौर की तहसील-धामपुर के ग्राम-फतेहउल्लापुर खास में राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति।(2016-17)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-नियोजन/17183/2016-17, दिनांक 07 फरवरी, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में जनपद-बिजनौर की तहसील-धामपुर के ग्राम-फतेहउल्लापुर खास में राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना/भवन निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन रू0-334.42 लाख (रूपये तीन करोड़ चौतीस लाख बयालीस हजार मात्र) में से शासनादेश संख्या-70/2016/1675/पन्द्रह-10-2016-5(घो0)/2015 दिनांक 16 सितम्बर,2016 द्वारा प्रथम किश्त के रूप मे स्वीकृत धनराशि रू0 150.00 लाख को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0 184.42 लाख के सापक्ष द्वितीय एवं अन्तिम किश्त के रूप में धनराशि रू0 184.42 लाख (रूपया एक करोड़ चौरासी लाख बयालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) निर्माण कार्य अनुमोदित मितव्ययी आगणन पर नामित कार्यदायी संस्था "उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 " द्वारा किया जायेगा। सक्षम स्तर से लिखित आदेशों के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी जिला विद्यालय निरीक्षक, बिजनौर की होगी तथा वे यह सुनिश्चित करेगें कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर 369-एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा एवं यथासमय उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है।

(6) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। शेष बची धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।

(7) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जाय।

(8) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-72 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष-''4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-सामान्य शिक्षा-202-माध्यमिक शिक्षा-17-राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी0-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किए जा रहे है। उक्त कार्यालय-ज्ञाप की शर्तो/प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा।

भवदीय

(पद्माकर शुक्ला)
अनु सचिव।

संख्या-10 /2017/211(1)/पन्द्रह-10-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम/लेखा परीक्षा-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, बिजनौर।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बिजनौर ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बिजनौर ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 गोमती बैराज बायॉ तट गोमतीनगर, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, शिक्षा निदेशालय (मा0), उ0प्र0, इलाहाबाद।
7- उप शिक्षा निदेशक(शिविर), कार्यालय, शिक्षा निदेशालय, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
9- वरिष्ठ शोध अधिकारी, शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड बुक/ग्रिड रिपोर्ट हेतु श्री शत्रुन्जय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से

(पद्माकर शुक्ला)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in